IN THE COURT OF SMT. PRERNA SINGH, J.M.F.C
Civil Court, Aurangabad, Bihar
Comp Case No. 917/2022

<u>कृष्णा कुमार चौहान बनाम् विवेक पटेल</u>

Sl. No.	Date of order of the proceeding	Orders with initials of the court	Remarks with section taken to office, if any
1	**2**	**3**	**4**
	<u>20-07-2026</u>	अभियुक्त– विवेक पटेल की ओर से उपस्थिति–पत्र दाखिल किया गया है। अभिलेख आज आदेश हेतु रखा गया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मौखिक निवेदन करते हैं कि इस वाद में परिवादी की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त मुकदमा पूर्णतः साक्ष्यविहीन है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध लगे आरोपों से उन्हें दोशमुक्त किया जाय। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि इस वाद में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–19.07.2023 को संज्ञान अंतर्गत धारा–323 भा0द0वि0 के तहत लिया गया है तथा अभियुक्त की उपस्थित हेतु सम्मन निर्गत किया गया जिसके आलोक में दिनांक–12.09.2023 को अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुए तथा दिनांक–07.05.2024 को अभियुक्त को प्रस्तुत वाद में अभियोग का सारांश सुनाया गया। तत्पश्चात् दिनांक–20.06.2024 से अभिलेख परिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु लंबित चला आ रहा था। परिवादी द्वारा कोई भी साक्ष्य न प्रस्तुत किए जाने के कारण दिनांक–12.01.2026 को न्यायालय द्वारा परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया बावजूद इसके परिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। चूंकि, प्रस्तुत वाद विगत दो वर्षों से साक्ष्य हेतु लंबित चला आ रहा है तथा परिवादी की ओर से वाद से संबंधित कोई भी उचित पैरवी न किए जाए के कारण दिनांक–16.02.2026 को परिवादी का साक्ष्य बंद किया गया। दिनांक–10.07.2026 को अभियुक्त को बयान अंतर्गत धारा–313 द0प्र0स0 से मुक्त (Dispensed) किया गया। साथ ही बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक निवेदन पर सफाई साक्ष्य बंद किया गया। उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद से संबंधित अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है तथा उनके विरूद्ध अभिलेख पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं संधारित किया गया है जिससे की अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को सिद्ध किया जा सके। ऐसी स्थिति में उक्त वाद के अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–323 भा0द0वि0 के अंतर्गत साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के प्रतिभूओं के बंध–पत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देष दिया जाता है कि आवश्यक प्रविश्टि उपरान्त अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें। **लेखापित** **(प्रेरणा सिंह)** **न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी,** **औरंगाबाद।**	